सेवा में

सेन्ट्रल काऊसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन

न्यू दिल्ली 110058

विषय- आर.टी.आई. एक्ट 2005 के अन्तर्गत बी.ए.एम.एस आयुर्वेदा इनर्टशिप (12 माह) की ट्रेनिंग से संबधित सुचनाऐ।

1. बी.ए.एम.एस की इनर्टशिप सी.सी.आई.एम -1970 के अनुसार 365 दिवस की जगह यदि 330 दिवस में पूर्ण करायी जाये तो, संबधित महाविघालय पर कार्यवाही हो सकती है।
2. सी.सी.आई.एम के अनुसार किसी आयुर्वेद छात्र द्वारा इनर्टशिप में एक दिन में कितने घंटे डियूटी करने का प्रवधान है। संबधित संस्थान पर क्या कार्यवाही की जा सकती है।
3. क्या एक ही विधार्थी एक ही दिन में सुबह, दोपहर और रात्रि तीनो समय में इनर्टशिप डियूटी कर सकता है। और उसे एक ही दिन में तीन दिन की उपस्थिति प्राप्त हो सकती है। क्या यह प्रक्रिया उचित है। संबधित संस्थान पर क्या कार्यवाही की जा सकती है।
4. सी.सी.आई.एम के नियमानुसार किसी संस्था में 50 विधार्थीयों को इनर्टशिप कराने का प्रवधान है किन्तु 50 से अधिक यदि किसी अन्य संस्था से एनओसी लेकर आये और संस्था में संख्या 50 से बड़कर 85 के लगभग हो जाये । संबधित संस्थान पर क्या कार्यवाही की जा सकती है।
5. आयुर्वेद संस्था में छात्र के मुल प्रमाण (हाई स्कुल की मार्कशीट, बारहवी की मार्कशीट, जातिप्रमाण पत्र इत्यादि) जमा करने का प्रवधान है ओर यदि आयुर्वेद छात्र का इनर्टशिप पूर्ण हो जाने के उपरांत यदि संस्था में जमा दस्तावेज (मूल दस्तावेज) विधार्थी उसकी माग करे और संस्था के द्वारा मूल दस्तावेज एवं इनर्टशिप प्रमाण पत्र आदि देने से मना करे , या कोई पैसे की मांग रखे तो संबधित संस्था एवं प्राचार्य पर क्या कार्यवाही हो सकती है।